राजस्व वाद संख्या 13/2024
GCMS NO. 2024/65
मुकेश वगै0 बनाम विनोद वगै0
आदेश दिनांक 12.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास **मलसीसर जिला झुंझुनूं** (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 13/2024

GCMS No. 2024/65

1. मुकेश कुमार पुत्र मदन जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. जोधाराम पुत्र रामू जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. चन्द्रपाल पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. बनवारीलाल पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

—प्रार्थी

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जोगी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. श्रीचंद पुत्र महावीर प्रसाद जाति जोगी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. संत कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जोगी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. द्रोपति पुत्री महावीर प्रसाद जाति जोगी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. निरंजनलाल पुत्र मेघनाथ जाति जोगी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. गिरधारी पुत्र रामू जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. रूकमणी पत्नी मदन जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. अंजू देवी पुत्री मदन जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. अशोक पुत्र भागीरथ मल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
10. मनीष पुत्र भागीरथ मल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
11. सुनिल पुत्र भागीरथ मल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
12. बिमला पत्नी भागीरथ मल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
13. बीरबल पुत्र जैसा जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
14. रूकमणी देवी पत्नी लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
15. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

16. बैंक ऑफ बड़ौदा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
17. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – मोहम्मद रशीद खान
वकील अप्रार्थी संख्या 2– श्री राजेश पूनियां
वकील अप्रार्थी संख्या 5 – मो0 रफीक
वकील अप्रार्थी संख्या 6, 7 – मुकर्रम अंसारी

निर्णय

दिनांक 12.08.2025

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर की सरहद में भूमि ख0न0 1027, 1034 कुल किता 2 कुल रकबा 2.68 है0 स्थित है। जो प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। ग्राम मलसीसर में खेत ख0न0 1026, 1025, 1024, 1023, 1013, 1012 कुल किता 6 कुल रकबा 5.18 है0 भूमि प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 एवं अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 14 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर वह काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थीगण के पास रास्ता ख0न0 1008 की सींव से होकर ख0न0 1007 में से होते हुये ख0न0 1044 तक जाता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 14 उक्त रास्ते को अपने पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण को अपनी जोत तक पहुंचने के लिये उक्त एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 14 के पास अपनी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 उक्त रास्ते का बंद करने की धमकी दे रहे है। इसलिये प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 14 को अपने खेत में आने जाने के लिये ख0न0 1007, 1008 की दक्षिणी सींव से होते हुये आम रास्ता ख0न0 1044 से प्रार्थीगण के खेत तक 5 मीटर चौड़ा कटानी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 14 को उक्तानुसार 5 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे। रास्ते मे जाने वाली भूमि का भुगतान प्रार्थीगण डीएलसी दर से करने के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1, 3, 4, 8 लगायत 16 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 8 लगायत 16 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

अनावेदक संख्या 5 की ओर से एड0 मो0 रफीक, 6, 7 की ओर से एडवोकेट मुर्करम अंसारी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया। अनावेदक संख्या 2 की आरे से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के मुताबिक मौजूदा प्रार्थना पत्र धारा 251क के प्रावधानों के तहत नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। जमीन हाल ख0न0 1007 में से प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित जमीन के लिये कभी कोई रास्ता नहीं रहा। आवेदकगण वर्तमान में ख0न0 989 व 1010 में से आना जाना कर रहे है तथा कदीमी से करते आ रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 1506 दिनांक 07.10.2024 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। रास्ते की आवश्यकता है। चाहा गया रास्ता लघुतम है इससे लघुतम अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 1156 वर्ग मीटर है। तहसीलदार मलसीसर ने रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदकगण के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लघुतम रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि मौजूदा प्रार्थना पत्र धारा 251क के प्रावधानों के तहत नहीं है। आवेदकगण ख0न0 989 व 1010 में कदीमी से आना जाना कर रहे है। इसलिये आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदकगण को अपनी भूमि में पहुंच हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। चाहा गया मार्ग लघूतम है। इसलिये तमाम साक्ष्य सबूतों, मौका जांच के तथ्यों के आधार पर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 1027, 1034, 1026, 1025, 1024, 1023, 1013, 1012 में आने–जाने के लिये ख0न0 1007, 1008 की सीमा के सहारे–सहारे तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी, बी से सी, सी से डी तथा डी से ई तक 5 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। ख0न0 1007, 1008 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदकगण से वसूल कर ख0न0 1007, 1008 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। निरंजनलाल के खेत में जाने के लिये पूर्व में छोड़ा गया रास्ता बन्द किया जा सकता है। इनके खेत में जाने के लिये इस आदेश के तहत दर्ज किया गया कटानी रास्ता ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मलसीसर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/25

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर